रजिस्ट्री सं डी (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 340] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1986/श्रावण 31, 1908
No. 340] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1986/SRAVANA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986

का.आ. 500(आ):—औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय संशोधन करना चाहती है जिनका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित के अनुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है। सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिस को उस राजपत्र में जो, जिसमें यह सूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. नियमों के प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उनपर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1986 है।

2. औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में,—

(i) नियम 3 में उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक आवेदन के साथ भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली पर, वेतन और लेखा अधिकारी, उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पक्ष में लिखा गया 2,500-00 रुपए का क्रास मांगदेय ड्राफ्ट होगा;";

(ii) नियम 7 में उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) प्रत्येक आवेदन के साथ भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली पर, वेतन और लेखा अधिकारी, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पक्ष में लिखा गया 2,500.00 रुपए का क्रास मांगदेय ड्राफ्ट होगा।"।

[फा. सं. 8/1/86-एल. पी.]
बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1986

S.O. 500(E).—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Developmen and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which th notification is published are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Indusrtial Undertakings (Amendment) Rules. 1986.

2. In The Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952,—

(i) in rule 3, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Each application shall be accompanied by a crossed demand draft for Rs. 2,500 drawn on the State Bank of India, Nirman Bhavan New Delhi, in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Government of India, New Delhi;";

(ii) in rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) Each application shall be accompanied by a crossed demand draft for Rs. 2,500 drawn on the State Bank of India, Nirman Bhavan, New Delhi, in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Government of India, New Delhi.".

[File No. 8|1|86-LP]
B. SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986